

232  
2

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)**

**// आदेश //**

क्रमांक 473 /  
दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 08/06/2024

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज, जिला रीवा के न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 77 ए/1997 सुम्मरिया उर्फ महरजिया उर्फ महरजिया विरुद्ध श्रीमती शशिप्रभा वगै0 संलग्न विविध प्रकरण क्रमांक 98/2017 सुम्मरिया उर्फ महरजिया वि0 श्रीमती शशिप्रभा वगै0, हनुमना क्षेत्राधिकार का होने के कारण उक्त प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय से विकर्षित किया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री विनोद कुमार चौधरी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sdL

**(राकेश मोहन प्रधान)**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश


रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 08/06/2024

पृष्ठांकन क्रमांक 3028 /  
दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. श्री हीरालाल अलावा, द्वितीय जिला न्यायाधीश मउगंज।  
की ओर प्रेषित कर लेख है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष के अधिवक्ता के लिये पुनः दिनांक नियत करते हुये अधिवक्ता को सूचित कर नियत दिनांक में उपस्थित रहने हेतु लिखित रूप से निर्देशित करें एवं उसकी प्रतिलिपि श्री. विनोद कुमार चौधरी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को प्रेषित करें।
2. श्री विनोद कुमार चौधरी, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश की ओर श्रीमती गीता उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज का पत्र क्रमांक 107 दिनांक 24.05.24 की छायाप्रति एवं प्रकरण क्रमांक 77ए/1997 सुम्मरिया उर्फ महरजिया उर्फ महरजिया विरुद्ध श्रीमती शशिप्रभा वगै0 संलग्न विविध प्रकरण क्रमांक 98/2017 सुम्मरिया उर्फ महरजिया वि0 श्रीमती शशिप्रभा वगै0 का मूल प्रकरण एवं द्वितीय जिला न्यायाधीश मउगंज के न्यायालय का विविध सिविल अपील क्रमांक 19/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. श्रीमती गीता उइके, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की ओर पत्र क्रमांक 107 दिनांक 24.05.24 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ मउगंज/हनुमना।
5. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
6. डी0एस0ए0/एस0ए0, कम्प्यूटर अनुभाग रीवा।  
ओर ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

रीवा (म0प्र0)